भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये रत INDIA त्र रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्ड केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/6559 प्र0कं0........./निगरानी/17-18

भागीरथ आ. श्री परसादीलाल आयु वयस्क
निवासी ग्राम खेजडा बरामद तहसील
हुजूर भोपाल म.प्र.

............निगरानीकर्ता

विरूद्ध

फूलसिंह पुत्र श्री परसादीलाल आयु वयस्क
निवासी-ग्राम खेजडा बरामद तहसील
हुजूर भोपाल म.प्र.

.................उत्तरदाता

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोविन्दपुरा वृत भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 30/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 से परिवेदित होकर अंदरम्याद प्रस्तुत की हैं ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/6359

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-2018	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 29-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 7/अ-**3/**2016-17 में की जा रही समस्त कार्यवाही स्थगित किया है । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के पक्ष में बटान का निष्पादन हो चुका है, जिसे रोकने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है, किन्तु उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थगित करने में अधिकार बाह्य आदेश पारित किया गया है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने से निरस्त किया जाये । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा असीमित समय के लिए स्थगन दिया है, जो कि संहिता के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के सम्बन्ध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बंटन कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 250 के प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गई है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । अनावेदक को सम्बंधित प्रकरण में ही स्थगन प्राप्त करना चाहिए था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश संहिता के प्रावधान अनुसार भी नहीं है, क्योंकि एक बार में अधिकतम तीन माह के लिए ही स्थगन दिया जा सकता है, जबकि प्रश्नाधीन आदेश में अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसा कोई बंधन भी नहीं लगाया है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है । अध्यक्ष	